

## रात्रि चौपाल कारुण्डा पालना रिपोर्ट

Officer Name: - Mr. Ravi Jain, IAS

District Name: - Chittorgarh

Designation: - Collector, Chittorgarh

Contact No: - 01472-240001

Tour/ Night Halt Date:- 08 JULY 2011

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम व पता (दूरभाष सहित)	प्रकरण का विषय	की गई कार्यवाही
1	श्री देवीलाल पिता गणेश जाट, कारुण्डा	निवास के बाहर की रोड़ी हटवाने के क्रम में।	ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.07.2011 को कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के निवास के बाहर से रोड़ी हटवा दी गई है।
2	ग्रामवासी कारुण्डा	गांव के बीच में पानी की कुड़ी के उपर से अतिक्रमण हटवाने हेतु।	मौके से अतिक्रमण हटवा दिया गया है।
3	ग्रामवासी कारुण्डा	गांव में पशु चिकित्सालय खुलवाने बाबत्।	निदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। पशुपालन विभाग द्वारा पालना अपेक्षित है।
4	ग्रामवासी कारुण्डा	रास्ते से नाजायज कब्जा हटवाने बाबत्।	मौके से अतिक्रमण हटवा दिया गया है।
5	ग्रामवासी कारुण्डा	भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताव व समस्याओं बाबत्।	ग्रामवासियों का प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है।
6	ग्रामवासी कारुण्डा	रोड़ लाईटें लगवाने बाबत्।	रिपोर्ट सहायक अभियन्ता, अविविनिलि, निम्बाहेडा अनुसार पत्रावली प्रस्तुत होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
7	ग्रामवासी कारुण्डा	आबादी क्षेत्र बढ़ाने बाबत्।	ग्राम पंचायत से नियमानुसार एनओसी व प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
8	सरपंच, ग्राम पंचायत कारुण्डा	ग्राम पायरी में पंचफल योजना क्षेत्र में लगे नलकुप पर विद्युत कनेक्शन कराने बाबत्।	रिपोर्ट सहायक अभियन्ता, अविविनिलि, निम्बाहेडा अनुसार पत्रावली प्रस्तुत होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
9	ग्रामवासी कारुण्डा	तलाई व चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत्।	रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार बाद निर्णय अतिक्रमण ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटा दिया जावेगा।
10	श्री हजारीलाल व लेहरूलाल पिता तुलसीराम जाट, कारुण्डा	सार्वजनिक कुई के पास निजी जमीन दुसरो के कब्जों से मुक्त करवाने बाबत्।	निजी खातेदारी की आराजी नं. 580 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. पर सार्वजनिक पशु खेल बनी हुई है। अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है।

11	ग्रामवासी कारुण्डा	वनभूमि से वृक्षों की कटाई रोकने बाबत् ।	जांच के दौरान किसी प्रकार की अवैध कटाई नहीं पाई गई। शिकायत सही नहीं है। प्रकरण निरस्त फरमावें।
12	ग्रामवासी साण्ड	राउप्रावि साण्ड की भूमि से अतिक्रमण हटवाने बाबत् ।	अतिक्रमण हटवा कर कब्जा संस्था प्रदान के सिपूद कर दिया गया है।
13	ग्रामवासी साण्ड	साण्ड से सावा रोड़ का डामरीकरण कराने हेतु।	सड़क के डामरीकरण हेतु 35.00 लाख रुपये का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग, निम्बाहेड़ा द्वारा तैयार करा अग्रेषित किया जा चुका है।
14	ग्रामवासी साण्ड	एनीकट को बड़ा करने हेतु ।	बिसलपुर परियोजना के केचमैट ऐरिया में होने से ऊँचाई बढ़ाना संभव नहीं होना बताया।
15	ग्रामवासी पिपलिया गदीया	प्राथमिक विद्यालय पिपलिया गदीया का भूमि का पट्टा बनवाने बाबत् ।	विद्यालय भवन आराजी नं. 33मी रकबा 1 बीघ्जा पर बना हुआ है जो चरनोट माईनिंग लीज कारुण्डा दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पंचायत से एनओसी व प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
16	सरपंच, ग्राम पंचायत, कारुण्डा	ग्राम पायरी में पंचफल योजना में सिंचाई हेतु ड्रिप संयन्त्र स्थापना हेतु राशि की व्यवस्था कराने बाबत् ।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ़ को आदित्य बिरला ग्रुप से अपेक्षित सहयोग राशि की व्यवस्था हेतु लिखा गया है।
17	ग्रामवासी कारुण्डा	विद्युत आपूर्ति सूचारु करवाने बाबत् ।	विद्युत आपूर्ति सूचारु कर दी गई है। विभागीय नियमानुसार विद्युत प्रदाय हो रहा है।
18	ग्रामवासी कारुण्डा	रा0वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, कारुण्डा में फर्निचर उपलब्ध करवाने बाबत् ।	सरपंच, ग्राम पंचायत कारुण्डा को जन सहयोग से फर्नीचर की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये हैं।
19	ग्रामवासी कारुण्डा	भूमि अवाप्त होने पर किसान को मुआवजा राशि नहीं मिलने बाबत् ।	प्रकरण में आवेदन वर्तमान बाजार दर से राशि चाहता है जबकि कम्पनी ने अवार्ड राशि माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, चित्तौडगढ़ में जमा करा दी है। न्यायालय के निर्णयानुसार ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।
20	श्रीमती रामी बाई व कैलाशी बाई पिता नाथूलाल जाट, निवासी कारुण्डा	बीपीएल में चयन करवाने बाबत् ।	दोनों प्रार्थीया विवाहित होकर अपने ससुराल में निवास करती थी। वर्तमान में कुछ पारिवारिक अनबन के कारण अपने पिता के यहां हैं जिनके भविष्य में अपने ससुराल जाने की सम्भावना है इसलिए प्रार्थीगण अस्थाई निवासी होने से अपात्र हैं। प्रार्थना पत्र खारीज किये गये।
21	प्रधानाध्यापक, राउप्रावि संस्कृत, कारुण्डा ।	विद्यालय खेल मैदान हेतु एक बीघा भूमि आवंटित करवाने बाबत् ।	वर्तमान में विद्यालय के नाम 23 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जो पर्याप्त है। और भूमि की आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।
22	ग्रामवासी कारुण्डा	राउप्रावि संस्कृत, कारुण्डा में चार कमरे	जे.के. सीमेण्ट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा को अपेक्षित सहयोग हेतु लिखा गया है।

		बनाने के क्रम में।	
23	ग्रामवासी कारुण्डा	ब्लॉक प्रा.शि.अधि. कार्यालय, निम्बाहेड़ा से सेवानिवृत्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण के क्रम में।	सभी सेवानिवृत्त अध्यापकों के पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं के आधार पर पेंशन प्रकरण स्वीकृत करवा दिये गये हैं तथा उनकी एरियर राशि का भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों के खातों में कर दिया गया है।
24	श्री बालु व मांगु पिता लक्ष्मण जाट, ग्राम पायरी	आराजी नं. 128 में से 1 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कराने बाबत्।	आराजी नं. 128 रकबा 1 बीघा का दिनांक 31.12.2010 को गे.खा. से आवंटन हुआ व कब्जा दिया गया। अभी वर्तमान में भूमि पर फसल खड़ी होने से पेमाईश नहीं हो सकती है। फसल कटने पर रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
25	ग्रामवासी पायरी	अतिक्रमण हटवाने बाबत्।	ग्राम पायरी में 57 अतिक्रमियों की 91 की रिपोर्ट दर्ज कर पेश हुई है जिन पर बाद निर्णय ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटवा दिया जावेगा।
26	श्री जमनालाल पिता कुका जाट, निवासी कारुण्डा	बीपीएल में चयन कराने बाबत्।	जांच में प्रार्थी को 15 अंक प्राप्त होने से प्रार्थी अपात्र पाया गया इसलिए आवेदन पत्र खारीज किया गया।
27	ग्रामवासी बडोली माधोसिंह	खेतान फैंक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को रोकने बाबत्।	पत्रावली राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दी गई है। अग्रिम कार्यवाही विभागीय नियमानुसार वहीं से अपेक्षित है।
28	ग्रामवासी कारुण्डा	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, कारुण्डा में पद स्वीकृत एवं नियुक्ति बाबत्।	उप निदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अग्रिम कार्यवाही शिक्षा विभाग से अपेक्षित है।
29	ग्रामवासी कारुण्डा	अध्यापक श्री उदयलाल पालीवाल को राउप्रासं.विद्यालय, कारुण्डा में पुनः नियुक्त करवाने बाबत्।	उप निदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अग्रिम कार्यवाही शिक्षा विभाग से अपेक्षित है।
30	ग्रामवासी पायरी	ढाणी से पायरी तक सड़क निर्माण व रामावि पायरी में अध्यापकों की कमी बाबत्।	उप निदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अग्रिम कार्यवाही शिक्षा विभाग से अपेक्षित है। सड़क निर्माण बाबत् प्रस्ताव 58.00 लाख रुपये का सहायक अभियन्ता, सा.नि. वि. निम्बाहेड़ा तैयार करा अग्रेषित किया जा चुका है।

























